

527
SCANNED

Trust Deed.

INDIA NON JUDICIAL



IN-UP19504124219544Y

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

54/26

Signature: [Signature]
App Name: Sarawati Bal Mandir Sewa Trust
App Add: Hindupur Karchhana
Mobile: 7906714788
Licence No.: 914
Tehsil: Karchhana, District: Prayagraj

Certificate No. : IN-UP19504124219544Y
Certificate Issued Date : 21-Apr-2026 11:28 AM
Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14178804/ KARCHHANA/ UP AHD
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1417880433914454471856Y
Purchased by : SARASWATI BAL MANDIR SEWA TRUST
Description of Document : Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description : Not Applicable
Consideration Price (Rs.) :
First Party : SARASWATI BAL MANDIR SEWA TRUST
Second Party : Not Applicable
Stamp Duty Paid By : SARASWATI BAL MANDIR SEWA TRUST
Stamp Duty Amount(Rs.) : 750
(Seven Hundred And Fifty only)



OCKED
KARCHH.

24/4/26

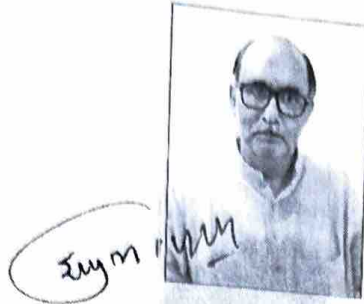


IPF 0042611446

Jan 21 1947

Abstract





2

ट्रस्ट डीड

जो कि मैं राजेन्द्र प्रसाद तिवारी पुत्र श्री शिवराम तिवारी निवासी मकान नम्बर 173/8, उत्तरी लोकपुर, नैनी, परगना अरैल, तहसील करछना, जिला प्रयागराज का निवासी हूँ।
आधार नम्बर- 8611 1077 6718

मो0न0- 9935178527

जो कि मैं समाज के आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करता हूँ। तथा हमलोगों के मन में, मस्तिष्क में अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ-साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिन्तन बना रहता है। हमारी हार्दिक इच्छा है कि समाज में सुख शान्ति आपसी सद्भाव व विश्वास सदाचार, शिक्षा एवं आदर्श नागरिक की स्वास्थ्य एवं आदर्श गुणों की स्थापना हो। समाज के साधनहीन व्यक्तियों के जीवन की मूलभूत आवश्यकतायें भोजन, शिक्षा व आवास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोजगारों को उनके योग्यता के अनुरूप तकनीकी व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाय। समाज के समुदाय के विकास व परस्पर भाईचारा सम्प्रदायिक तालमेल बनाये रखने व समाज को शिक्षित करने में लिंग भेद, जाति-पाति, छुआ-छूत धर्म एवं सम्प्रदाय, ऊँच-नीच की भावना कहीं से भी बाधक न हो। जनहित के उक्त कार्यों को संचालित करने तथा उससे लोगों को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न विधाओं में समाज को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी पूर्ण व्यवस्था के हम मुक्ति द्वारा कल्याणकारी ट्रस्ट की स्थापना की गयी है। हम मुक्ति अपने उक्त हार्दिक इच्छा की पूर्ति के लिए तथा आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के बावत 5,000/-रुपया (पाँच हजार रुपये मात्र) का एक ट्रस्ट कोष स्थापित किया गया है। जिसकी स्थापना निम्न रूपेण की जायेगी।

1. यह कि मेरे द्वारा स्थापित ट्रस्ट का नाम "सरस्वती बाल मन्दिर सेवा ट्रस्ट" होगा।
2. यह कि मेरे द्वारा स्थापित उक्त ट्रस्ट का मुख्यालय चक दाऊद नगर, नैनी, परगना अरैल, तहसील करछना, जिला प्रयागराज होगा। उक्त ट्रस्ट के कार्य को सुचारु रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों के सुगम प्राप्ति के बावत इसके अन्य कार्यालयों की स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयों के पतों पर ट्रस्ट गजकुर द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं और समितियों का पंजीकरण सारांगत अधिनियमों के अंतर्गत कराया जा सकेगा।





3. यह कि मैं राजेन्द्र प्रसाद तिवारी पुत्र श्री शिवराम तिवारी निवासी मकान नम्बर 173/8, उत्तरी लोकपुर, नैनी, परगना अरैल, तहसील करछना, जिला प्रयागराज ट्रस्ट गजकुर के संस्थापक/अध्यक्ष (आजीवन) होंगे। तथा ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/मैनेजिंग ट्रस्टी भी कहे जायेंगे तथा ट्रस्टी के कहीं जाने आने या ना होने पर मैनेजिंग ट्रस्टी प्रबन्धक का कार्य ट्रस्ट के ट्रस्टी राम नारायण मिश्र पुत्र श्री रामरक्षा मिश्र निवासी मकान नम्बर 68बी/3 उत्तरी लोकपुर, नैनी, परगना अरैल, तहसील करछना, जिला प्रयागराज करेंगे। मुख्य ट्रस्टी/मैनेजिंग ट्रस्टी की मृत्यु हो जाने पर क्रमानुसार दुर्गेश तिवारी पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी निवासी मकान नम्बर 173/8, उत्तरी लोकपुर, नैनी, परगना अरैल, तहसील करछना, जिला प्रयागराज, व गहेश तिवारी पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी निवासी मकान नम्बर 173/8, उत्तरी लोकपुर, नैनी, परगना अरैल, तहसील करछना, जिला प्रयागराज व अखिलेश मिश्रा पुत्र श्री रामनारायण मिश्रा निवासी मकान नम्बर 68बी/3 उत्तरी लोकपुर, नैनी, परगना अरैल, तहसील करछना, जिला प्रयागराज मुख्य ट्रस्टी/मैनेजिंग ट्रस्टी के रूप में कार्य करेंगे। यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के पदेन अधिकारी की स्थापना की जायेगी जो कि ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार कार्य करने में सहमत होंगे। यह कि मुख्य ट्रस्टी किसी भी समय बिना कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक विधिक/अनुशासनात्मक प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा पक्षों का अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्तियों को हस्तास्तित प्रदान कर सकता है। वाह्य ट्रस्टी ट्रस्ट के कल्याण एवं राष्ट्र हित में अपना सुझाव समय-समय पर दे सकते हैं किन्तु अध्यक्ष का निर्णय सर्वमान्य होगा। इस कार्य के लिए ट्रस्टी को सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा और ट्रस्टी के खिलाफ किसी भी कोर्ट/न्यायालय में वाद मान्य नहीं होगा। इस ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष में होगा।

उसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है—

1. समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना।
2. यह कि यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा-पाठ, ध्यान, साधना, कथा, प्रवचन, योग, कुण्डलिनी, जागृति, शक्तिपात, व सनातन धर्म प्रचार-प्रसार एवं सनातन धर्म की रक्षा हेतु हर सम्भव प्रयास व उपाय करना, तथा माघ मेला, कुम्भ मेला व अर्द्धकुम्भ मेला में कल्पवासियों के लिए सिविर लगाना तथा धर्म ज्ञान देना, व गैर सनातनी को सनातन धर्म में स्वागत करना व सुधैव कुटुम्बकम् निति को अपनाना, तीर्थराज प्रयागराज का गौरव बढ़ाना तथा भारत वर्ष को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना।
3. शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना एवं आम जनता में चेतना जागृत कर उन्हें शिक्षित एवं रोजगारोमुख प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना।
4. नवयुवक, नव-युवतियों व छात्र-छात्राओं को रचनात्मक दिशा देना एवं उनके सार्वभौमिक विकास के लिए प्राथमिक जू0हा0स्कूल, हाईस्कूल, इंटरमीडिएट व स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालय एवं महाविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों, मेडिकल कालेज, टेक्निकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, शिक्षण-प्रशिक्षण, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय की स्थापना एवं उनका संचालन करना। बी0टी0सी0 व बी0एड0 व डी0एल0एड0 व एग0एड0 व संस्कृत इंटर कालेज एवं संस्कृत डिग्री कालेज तथा संस्कृत विश्वविद्यालय आदि का संचालन करना।
5. वर्तमान समय में विज्ञान के जन जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुए तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना, विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीकी पर आधारित होने के कारण उनसे सम्बन्धित ज्ञान की जिज्ञासुओं व प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपलब्ध कराना।
6. समाज के सामुदायिक विकास को परस्पर भाईचारा, सम्प्रदायिक तालमेल, राष्ट्रभक्ति राष्ट्रीय एकता, सरकारी सम्पत्ति के प्रति प्रेम, राष्ट्र धरोहर की रक्षा, प्राकृतिक चीजों एवं जीवों की रक्षा, प्रकृति के प्रति प्रेम, राष्ट्रीय कानून के प्रति वफादारी तथा समाज के प्रति जिम्मेदारियों लिए युवकों एवं महिलाओं को जागरूक करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना।
7. ट्रस्ट द्वारा स्थापित महाविद्यालय के प्रचार एवं प्रशिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के प्रतिनिधि विश्वविद्यालयों परिनियमावली के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिए सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत या अनुमोदित करायी गयी। प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित प्राधिकारी से स्वीकृत या अनुमोदित करायी गयी। प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्ध समितित के पदेन सदस्य होंगे तथा उन्हें नियमानुसार प्राप्त अधिकारियों का प्रयोग करने का अधिकार होगा।
8. यह ट्रस्ट हिन्दू अल्पसंख्यक समुदाय के सार्वभौमिक विकास के लिए मन्दिर, गौशाला, धर्मशाला, प्राथमिक जू0हा0स्कूल, हाईस्कूल, इंटरमीडिएट व स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालय एवं महाविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों, शिक्षण-प्रशिक्षण, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय की स्थापना एवं उनका संचालन करना।





आवेदन सं०: 202600892005572

न्यास पत्र

बही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 54

वर्ष: 2026

प्रतिफल: 50000 स्टाम्प शुल्क - 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग 180

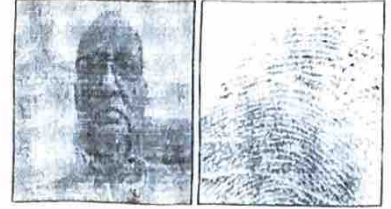
श्री सरस्वती बाल मन्दिर सेवा ट्रस्ट द्वारा मुख्य ट्रस्टी द्वारा

राजेन्द्र प्रसाद तिवारी अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,

पुत्र श्री शिवराम तिवारी

व्यवसाय: अन्य

निवासी: सन्त 173/8 उत्तरी लोकपुर नैनी परगना अरैल तहसील करछना जिला प्रयागराज



श्री सरस्वती बाल मन्दिर सेवा ट्रस्ट द्वारा मुख्य ट्रस्टी द्वारा

राजेन्द्र प्रसाद तिवारी अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखन इस कार्यालय में दिनांक 21/04/2026 एवं 11:55:24

AM बजे

निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

नीरज कुमार पाण्डेय

उप निबंधक: करछना

प्रयागराज

21/04/2026

जाने चन्द्र दिवेदी

निबंधक लिपिक

21/04/2026



9. स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए किड-केयर, नर्सरी, प्राईमरी, माध्यमिक स्कूलों तथा डिग्री एवं पीओजीओ कालेज की स्थापना करना तथा आमदनी के स्रोत हेतु विद्यालय कम्पाउण्ड में दुकान व आवास।
10. शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं में कमजोर विद्यार्थियों के लिए अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, बैंक, पीओसीओएसओ, आईओएसओ में प्रवेश की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटरों की व्यवस्था तथा उससे होने वाले आय से संस्था का पोषण करना एवं आईओटीओआईओ, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल, फार्मसी, बीओएसओसीओ नर्सिंग कालेज, मेडिकल कालेज, अग्निशमन कालेज एवं प्रबन्धन कालेज आदि खोलना। और डिप्लोमा आदि के सभी कोर्ष का संचालन करना व कौशल विकास के सभी कोर्ष का संचालन करना।
11. संस्था की प्रत्येक योजनाओं में महिलाओं को उनके योग्यता के अनुसार समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना, उनके न मिलने की दशा में स्थान पुरुषों द्वारा भारा जा सकता है।
12. अनुओजाति, अनुओजनजाति, पिछड़े वर्ग एवं कमजोर वर्गों के लिए स्वरोजगार योजना का प्रबन्ध करना तथा उनके लिए शैक्षणिक क्षेत्र में कमजोर, विद्यार्थियों के लिए अलग से कोचिंग की व्यवस्था करना, निराश्रित महिलाओं, विधवा, कुष्ठरोग पीडित, गरीब, असहाय भिखारियों, असहाय एवं अपाहिज छात्र/छात्राओं को शिक्षा, प्राथमिक चिकित्सा, वाचनालय आदि की निःशुल्क व्यवस्था करना।
13. युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक ट्रेनिंग जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग, स्क्रीन, इलेक्ट्रॉनिक वायरमैन, डीजल एवं मोटर मैकेनिक, रेडियो, एवं टीओवीओ ट्रेनिंग, टाईपिंग, शार्ट हैण्ड, कम्प्यूटर, फाईल, संगीत के अतिरिक्त फल संरक्षण, कुकिंग/बैकरी एवं मसलूम उद्योग उशिक्षण एवं डायटिंग प्रशिक्षण आदि जैसे केन्द्रों की स्थापना/व्यवस्था तथा प्रबन्धन करना आवश्यकतानुसार उनके लिए प्रशिक्षणकक्ष, पुस्तकालय कक्षा छात्रावास, भोजन, वस्त्र दवा, यातायात, खेल का मैदान जैसे सुविधाओं को उपलब्ध करना।
14. यह ट्रस्ट, कोई भी स्कूल, विद्यालय जो कि संस्था की धारा 1860 सेक्शन 21 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है, उसको किराया/लीज पर लेना, उसके अधिकार समालना/खरीदना और उसका संचालन करना। यह ट्रस्ट कोई भी अनाथालय, बृद्धआश्रम जो कि रजिस्टर्ड द्वारा संचालित हो उसके अधिकार को समालना, किराया/लीज पर लेकर उसका संचालन करना।
15. युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के अन्य उपयोगी प्रशिक्षण जैसे हैंड्रीक्राफ्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुकिंग कला, निबन्ध व्याख्यान तथा खेल कूद आदि का आयोजन, प्रतियोगिता तथा विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करना भी संस्था का उद्देश्य है।
16. आमजन मानस के लिए व गरीब निर्धन असहाय लोगों के लिए हॉस्पिटल स्थापना व संचालन करने का उद्देश्य है।
17. समाज कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करना जैसे गूंगे, बहरे, अंधों, अप्रं, एवं मानसिक रूप से कमजोर बच्चों युवाओं एवं अनुसूचित जाति/अनुओजनजाति/पिछड़े वर्ग/गरीब बच्चों निराश्रित, अनाथ बच्चों एवं युवाओं के लिए विद्यालय, छात्रावास एवं भोजन वस्त्र की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना बिना लाभ हानि के अन्य छात्रावासों का निर्माण व उनकी समुचित व्यवस्था करना।
18. वृद्धों के लिए विश्राम केन्द्र अथवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना जिसमें मनोरंजन, पढ़ने, लिखने व उन्हें खेलने की पूर्ण सुविधा व स्वतंत्रता हो।
19. महिला संरक्षण गृह/विधवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना तथा उन्हें सरकारी सहायता देना।
20. सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केन्द्र, बारात घर धर्मशाला, सुलग शौचालय, चिकित्सालय, पुस्तकालय, योगा प्रशिक्षण केन्द्र, आगनवाड़ी, वालवाड़ी, ड्रामा स्टेज प्रशिक्षण एवं अन्य प्रशिक्षणकी स्थापना एवं प्रबन्ध करना।
21. सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राईवेट व खाली पड़ी जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना, वृक्षारोपण औषधियों एवं जड़ी बूटियों वाले पौधों या अन्य आर्थिक महत्व वाले पौधों का रोपण करना। सुरक्षित एवं संरक्षा की दृष्टि से विलुप्त पौधों की खेती करना।

24/11/19





आवेदन सं०: 202600892005572

वही सं० :

रजिस्ट्रेशन सं०: 54

वर्ष 2026

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि व प्रलेखानुसार उक्त न्यासी: 1

श्री सरस्वती बाल मन्दिर सेवा ट्रस्ट द्वारा मुख्य ट्रस्टी के द्वारा (SARASWATI BAL MANDIR SEWA TRUST)

राजेन्द्र प्रसाद तिवारी

पुत्र श्री शिवराम तिवारी
निवासी: म०न० 173/8 उत्तरी लोकपुर नैनी परगना और तहसील करछना जिला प्रयागराज
व्यवसाय: अन्य



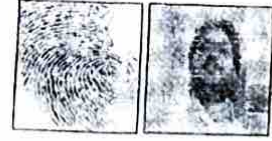
ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1

श्री जगनन्द मिश्र, पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र

निवासी: चक इमाम अली नैनी परगना और तहसील करछना जिला प्रयागराज

व्यवसाय: अन्य

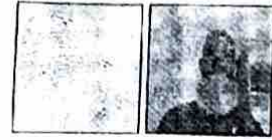
पहचानकर्ता: 2



श्री शोएब इसराइल सिद्दीकी, पुत्र श्री मोहम्मद इसराइल

निवासी: म०न० 406 और तहसील करछना जिला प्रयागराज

व्यवसाय: अन्य



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

नौरज कुमार पाण्डेय

उप निबंधक: करछना

प्रयागराज

21/04/2026

मान प्रकाश दिवेदी

निबंधक लिपिक प्रयागराज

21/04/2026

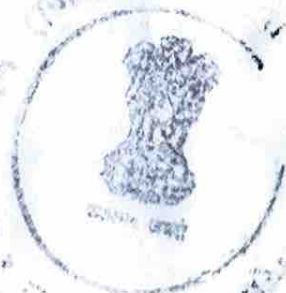
ने की। प्रत्यक्षत भद्र साक्षियों के ज्ञान अगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी:



22. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नियमों का पालन करते हुए उससे सम्बन्धित समस्त जनहित योजनाओं को लागू करना तथा स्वतः रोजगार के लिए बोर्ड से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के आर्थिक सहायता एवं अनुदान को स्वतः रोजगार हेतु जन-जन पहुँचाना।
23. राष्ट्रीय एकता शिविर के द्वारा विशेष कर संवेदनशील तथा अति संवेदनशील राज्यों के लोगों में राष्ट्रीय एकता एवं समर्पण की भावना का विकास करना।
24. संस्था को उद्देश्य की पूर्ति के लिए मकान तथा वाहनों को खरीदवा बेचना उन्हें किराये पर या लीज पर लेन-देन करना मार्गेज करना या मकान बनवाना बेचना आदि।
25. विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों हेतु आधुनिक सुविधा के साथ प्रशिक्षण हॉल की स्थापना करना, जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण सम्पादित हो सके जैसे यूनीसेफ, आईसीडीओ, नेहरू युवा केन्द्र समाजकल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
26. घरेलू ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने तथा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डेयरी उद्योग, रेशम रोकथाम, मधुमक्खी पालन, गुर्मी पालन, बत्तल पालन तथा इनसे सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी रोकथाम, टीकाकरण के लिए युवाओं को प्रेरित/जागरूक/ प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन्न करना।
27. बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, पान मसाला, गांजा-भोंग, स्मैक, एलसीडी या किसी अन्य प्रकार के नशा सेवन करने वाले लोगों को उनसे होन वाली बीमारियों के प्रति सतर्क करना तथा उनसे छुटकारा पाने के लिए नशा मुक्त निःशुल्क चिकित्सालय की व्यवस्था करना।
28. रामाज की व्याप्त वृद्धियों जैसे अन्धविश्वास, बालविवाह, बाल शोषण, बाल श्रम, महिला शोषण, लिंग-भेद, अस्पृश्यता जाति-पाति, एवं छुआ-छूत की भावना को दूर करना तथा इसके लिए जागरूकता/प्रशिक्षणकी व्यवस्था करना।
29. सामूहिक विवाह तथा समूहिक भोज को बढ़ावा देना, विभिन्न त्यौहारों जैसे होली, दीपावली, दशहरा, मोहर्रम, ईद बकरीद अथवा समारोह जैसे शादी, गवना, सालगिरह, जन्मदिन पर होने वाले भोजन तथा अन्य के अवयव की रोकथाम हेतु उन्हें प्रशिक्षित करना।
30. विभिन्न प्रकार के खेल जैसे योगा जिम्नारिस्टिक, जूडो-कराटे, कबड्डी तथा अन्य शहरी एवं पारम्परिक खेलों को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनको प्रशिक्षित तथा प्रतियोगिता कराना। इसके लिए संस्था द्वारा सरकारी अनुदान के लिए प्रयास करना।
31. विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं की सहायता से बाल शिक्षा, बालस्वास्थ्य एवं टीकाकरण जागरूकता/प्रशिक्षण/कैम्प सहायता एवं हैण्ड पाइप की व्यवस्था करना।
32. परिवार कल्याण के क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण परिवार नियोजन टीकाकरण क्षेत्र में जागरूकता/प्रशिक्षण दवा/किट वितरण एवं प्रयोग की सुविधा के साथ-साथ परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र की स्थापना करना तथा रक्तदान शिविर का आयोजन करना।
33. एड्स, कैसर, टीबी, कोढ़, मलेरिया, पोलियो, हेपेटाइटिस जैसे रोगों की जानकारी/रोकथाम/जागरूकता/उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा उपलब्ध कराना। गरीब असहाय व निर्धन लोगों के लिए पालीक्लिनिक व अस्पताल का निर्माण करना व संचालन करना।
34. ग्रामीण, शहरी क्षेत्रों में भिखारियों, झुग्गी-झोपड़ी एवं मलीन बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों को आवास, भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य प्रशिक्षण एवं सामाजिक चेतना के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना।
35. यह ट्रस्ट समाज के सार्वजनिक विकास के लिए सीओवीएसआई न्यू दिल्ली बोर्ड, सीओआईसीओएसआई/आईएसआई बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता लेकर स्कूल व विद्यालय खोलना तथा उसका संचालन करना।
36. सरकार की सहायता से गाँवों एवं शहरों के विकास हेतु पेय जल, शौचालय-नाली, सड़क निर्माण, खड़जा, पिच, पार्क, शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था करना, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त अल्प लागत से आवास गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध कराना।

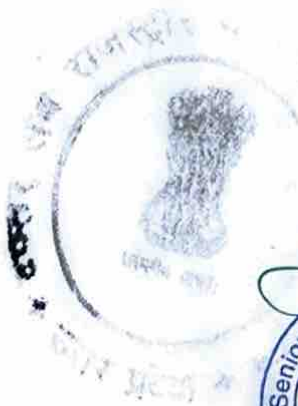
24/11/11





37. कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नये नये वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग कराना तथा नये नये शोधित बीजों को उगाने तथा उससे सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी देने अथवा दवा सुरक्षा के लिए आम लोगों तथा किसानों का शिविर लगाकर उन्हें प्रशिक्षित/जागरूक एवं प्रशिक्षित करना साथ ही साथ उत्पाद का उन्हें उचित मूल्य दिलाना तिलाना दलहन तथा कृषि बागवानी बोर्ड के विकास हेतु नये वैज्ञानिक तरीकों का प्रचार प्रसार करना तथा स्थायी कृषि कार्यक्रमों द्वारा कृषि क्षेत्रों को प्रशिक्षित एवं लाभान्वित करना। तथा भारत सरकार, राज्य सरकार के द्वारा स्वयं सेवी संगठनों के लिए सभी प्रकार की योजना का संचालन करना।
38. सभी कम्पोस्ट एवं साग सब्जी उद्योगों को बढ़ावा देना भूमि को रासायनिक उर्वरक से होने वाले हानि से लोगों से अवगत करना।
39. बंजर एवं उसर भूमि गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत, वातावरणीय संरक्षण, जल एवं अन्य प्राकृतिक सम्पदा के संरक्षणको विकसित करने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करना।
40. जल, वायु, मृदा एवं ध्वनि प्रदूषण की जानकारी/नियंत्रण/उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में युवाओं को जागरूक एवं प्रशिक्षित करने के लिए रचनात्मक दिशा में कारगर कदम उठाना।
41. प्राकृतिक आपदा जैसे - हैजा, प्लेग, भूखमरी, बाढ़, आग, सूखा अकाल, चक्रवात दुर्घटना की दशा में प्रभावित लोगों की सहायता करना तथा प्रभावित गावों व्यक्तियों एवं पशुओं का सर्वेक्षण एवं पहचान करना तथा उन्हें सहायता प्रदान करना सम्मिलित है। ऐसी दशा में लोगों को बचाव एवं भावी रणनीति के लिए सहयोग/जागरूकता प्रशिक्षित करना इसके लिए लोगों/संस्था तथा कम्पनियों आदि से आर्थिक सहयोग भी दिया जा सकता है। इसमें शासन एवं प्रशासन का सहयोग भी शामिल है।
42. लावारिश असहाय पशुओं एवं बीमार जानवरों की देखभाल के साथ-साथ समुचित संरक्षण तथा उनके पोषण निःशुल्क दवा व अस्पताल की व्यवस्था करना/ गो वंशीय जीवों को सुरक्षा एवं पालन हेतु पशुशाला तथा गौशाला की व्यवस्था करना प्रतिबन्धित पशुओं के अवैध हत्या को रोकने तथा पशुओं के प्रति जागृत करने के लिए पशु मेला का आयोजन करना।
43. तत्काल सुविधा पहुँचाने हेतु सड़क/ट्रेन बस/दुर्घटना जख्मी व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, बीमार असहाय वृद्ध व्यक्तियों को निकटवर्ती अस्पताल तक पहुँचाने के लिए अथवा एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए मोबाइल इमर्जेंसी एम्बुलेंस/वैन की व्यवस्था करना।
44. उन समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करना जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित है। तथा जिनको विभागों व एन0जी0ओ0 के माध्यम से चलाया जा रहा है।
45. पंचायती राज्य एवं उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जानकारी तथा अन्य सामान्य ज्ञान एवं कानूनी जागरूकता के लिए काउन्सिलिंग केन्द्रों की स्थापना एवं प्रवर्धन करना ताकि महिलाओं तथा समाज के गरीब एवं पिछड़े लोगों की कानूनी सहायता की जा सके।
46. गरीब लोगों विशेषकर महिलाओं के कानूनी, सामाजिक, आर्थिक या चिकित्सकीय सुविधा अथवा सहायता के लिए उपाय करना।
47. किसी एन0जी0ओ0 द्वारा दिये गये कार्यों को भी ट्रस्ट के माध्यम से सम्पादित किया जा सकेगा।
48. सरकारी अथवा संस्था के किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य, डाटा, कलेक्शन, जागरूकता तथा प्रशिक्षण हेतु किसी प्रकार का किट, पोस्टर, बैनर, श्रव्य, दृश्य कैसेट, कठपुतली, सामग्री, डायलैग्रेम, एवं नुक्कड़ नाटक कीट तैयार करना जो विभिन्न कार्यक्रमों अथवा क्षेत्रों में जरूरत होती है। जिससे न्याय के उद्देश्य की पूर्ति होती है।
49. किसी अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी तन्त्र अथवा एन0जी0ओ0 एसोसिएशन ट्रस्ट को आर्थिक सहायता देना उनके क्रिया कलापों में सहयोग देना जिनके उद्देश्य एस संस्था में मिलते हो।
50. सरकारी तथा गैर सरकारी/लोगों/संस्थाओं/तन्त्रों/कम्पनी/दुकानों से आर्थिक सहायता लेकर ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति करना। इसमें विभिन्न प्रकार के डोनेशन, ग्राण्ट, गिफ्ट, चल एवं अचल सम्पत्ति सम्मिलित है।
51. विभिन्न पंजीकृत संस्थाओं को संगठित करना तथा उन्हें विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देना या आर्थिक सहायता पहुँचाना।
52. ट्रस्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसके शाखा या इसके क्रियाकलापों को आवश्यकतानुसार अन्य जिला/प्रदेशों में स्थापित करना या फैलाना।





53. सरकारी, अर्द्धसरकारी अथवा गैर सरकारी बैंकों से ट्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति के लिए ऋण या सहायता प्राप्त करना एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट की चल अचल सम्पत्ति को बैंक में बन्धक रख उद्देश्यों की पूर्ति करना।
54. यह ट्रस्ट किसी भी राष्ट्रीय बैंक / डाकखाना / प्राइवेट बैंक या पंजीकृत सोसाइटी पर ट्रस्ट से लेनदेन करेगी।
55. प्रकृति संरक्षण हेतु वृक्षारोपण आदि आवश्यक कार्य करना व सरकारी समस्त योजनाओं में सहभागिता निमाना।
56. नदीयों की सफाई इत्यादि पार्कों का रख रखाव का प्रबन्ध करना।
57. यह कि "सरस्वती बाल मन्दिर सेवा ट्रस्ट" मे जो भी राशि आवेगी उसे धर्मराशि के नाम से अर्पण करना कहा जावेगा व अर्पणकर्ता को "धर्मादा भाई-बहन" से सम्बोधित किया जावेगा।
58. यह कि "सरस्वती बाल मन्दिर सेवा ट्रस्ट" मे प्राप्त छोटी अथवा बड़ी धर्मराशि अर्पण करने वाले धर्मादा भाई-बहनों के ट्रस्ट का ट्रस्टी समझा जायेगा। किन्तु किसी भी प्रकार का अधिकार विशिष्ट ट्रस्टी को ही दिया जायेगा जो कि मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा निर्धारित होगा।
59. यह कि भारत के राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री अथवा साम्मानित संस्थाओं से पुरस्कार प्राप्त व सम्मान प्राप्त व्यक्तियों को बिना किसी धर्मराशि के विशिष्ट ट्रस्टी के रूप में शामिल किया जायेगा।
60. यह कि राष्ट्र प्रहरी सुरक्षा में लगी हमारी सेना, सैनिकों, वीरबन्धुओं, बलिदान हो जाने वाले सैनिकों के परिवारों को विशिष्ट ट्रस्टी के रूप में शामिल किया जायेगा और उन्हें यथोचित सम्मान दिया जायेगा।
- 61. ट्रस्ट मंडल के अधिकार एवं कर्तव्य:-**
1. समान उद्देश्यों की अन्य संस्थाओं व ट्रस्ट से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।
 2. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इनके विभिन्न इकाइयों को सुचारु व्यवस्था के अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिए समितियों एवं उपसमितियों का गठन करना।
 3. ट्रस्ट के अधीन संस्थानों व समितियों को सुचारु रूप से संचालन के लिए समिति पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उपनियमों को बनाना।
 4. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिए विभिन्न प्राविधानों को लिखित रूप में तैयार करना तथा इसके लिए धन की व्यवस्था हेतु सदस्यता शुल्कदान चन्दा इत्यादि करना तथा उनकी प्रबन्ध इकाइयों गठित करना।
 5. ट्रस्ट के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने व उनकी व्यवस्था के लिए लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना।
 6. ट्रस्ट के सम्पत्ति की देखभाल करना तथा न्यास के सम्पत्ति के बढ़ावा के लिए रातत् प्रयास करना और आवश्यकता पडने पर ट्रस्ट के सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उनकी व्यवस्था करना।
 7. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति होने तथा किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के बावत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट में निहित करना।
 8. ट्रस्ट के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों, शोधकेन्द्रों, गौशालाओं, व अन्य समस्त समितियों के लिए आवश्यक कर्मचारी नियुक्ति करना, और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिए आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना उनके हित में अन्य कार्यों को करना।
 9. ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के हित व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी अर्द्धसरकारी, गैरसरकारी विभागों में दान, उपहार, अनुदान व अन्य स्रोतों से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खर्च करना।
 10. ट्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति के लिए ट्रस्ट मण्डल द्वारा से कल्पित समस्त कार्यों को करना।
 11. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निर्धारित शर्तों को पूर्ण कर स्नातक व परास्नातक स्तर पर शैक्षिक व व्यवसायिक पाठ्यक्रम का संचालन करना और इस आवश्यकता हेतु स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की स्थापना करना इस प्रकार स्थापित संस्थाओं को सुचारु प्रबन्ध व्यवस्था हेतु निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए प्रशासन योजना तैयार कर राक्षम प्राधिकारी/कुलपति से स्वीकृति प्राप्त करना।





62. ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्था:-

(क) ट्रस्ट का गठन एवं संचालन- ट्रस्ट का गठन एवं संचालन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा-

1. ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी एवं प्रबन्ध हम मुक्ति होंगे और ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी को अपने जीवन काल में अगले मुख्य ट्रस्टी को शामिल करने का अधिकार होगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति किये जाने के पूर्व मुख्य ट्रस्टी की मृत्यु हो जाये तो न्यास के शेष ट्रस्टीयों को मुख्य ट्रस्टी के विधिक उत्तराधिकारी पत्नी व पुत्र/पुत्री को ट्रस्ट का मुख्य ट्रस्टी माना जायेगा। तथा यदि भविष्य में किसी ट्रस्टी की इच्छा ट्रस्ट के ट्रस्टी पद पर नहीं रहने की है। तो इस दशा में केवल उसके रक्त से सम्बन्धित/वंशावली का ही मुख्य ट्रस्टी होगा।
2. मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति, बीमार या कार्य करने की अक्षमता की व्यवस्था में आपके द्वारा निर्धारित ट्रस्टी मुख्य ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत होगा।
3. ट्रस्ट के ट्रस्टी/प्रधान प्रबन्धक एक प्रबन्ध समिति गठित करेंगे, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपअध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष होंगे। इस समिति का गठन ट्रस्टी प्रधान प्रबन्धक करेंगे। इन पदों पर चुनाव नहीं होगा और सुचारु रूप से समिति कार्य न करने पर बिना कारण बताये बिना पूर्व सूचना के इस समिति को गंग करने का सर्वाधिकार ट्रस्टी के पास सुरक्षित होगा और ट्रस्टी द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष, प्रबन्धक, कोषाध्यक्ष को कौन-कौन सा अधिकार होगा यह ट्रस्टी का निर्णय सभी पदाधिकारियों को मान्य एवं अंतिम होगा।
4. ट्रस्ट मंडल के किसी भी ट्रस्टी अथवा मुख्य ट्रस्टी के त्याग-पत्र देने अथवा मृत्यु होने पर उनका स्थान रिक्त हो जायेगा। लेकिन ट्रस्ट मंडल में इस प्रकार की कोई रिक्त होने पर ट्रस्ट मण्डल के पदाधिकारियों के अगले मनोनयन के पूर्व उसकी पूर्ति सम्बन्धी ट्रस्टी के विधिक उत्तराधिकारियों में से की जायेगी। यदि किसी ट्रस्टी के एक से अधिक उत्तराधिकारी हैं तो उनमें से योग्य एवं ट्रस्टी के प्रति हितैसी भाव रखने वाले पदाधिकारियों को ट्रस्ट में उत्तराधिकारी के ट्रस्टी के रूप में सम्मिलित होने से इन्कार करने की स्थिति में मृतक ट्रस्टी के वंशावली के दूसरे सदस्य के नाम पर विचार किया जायेगा। परन्तु प्रतिबन्ध यह कि मुख्य ट्रस्टी अन्य ट्रस्टीयों के रिक्त स्थान की पूर्ति के सम्बन्ध के उक्त रूप में दिये गये उपबन्धों के द्वारा ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों का अपने मृत्यु के उपरान्त लिखित रूप से उत्तराधिकारी ट्रस्टी नियुक्त करने का अधिकार बाधित नहीं होगा।
5. ट्रस्ट मंडल के किसी सदस्य को उसके द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने की अथवा ट्रस्ट के हितों के विपरीत आचरण करने की दशा में ट्रस्ट मंडल द्वारा उन्हें सामान्य बहुमत से ट्रस्ट पृथक कर दिया जायेगा। और उनके स्थान पर पूर्व में दिये गये प्राविधानों के अनुसार सुयोग्य एवं ट्रस्ट मंडल के ट्रस्ट के रूप में संयोजित कर लिया जायेगा। यदि कोई हितैसी व्यक्ति को ट्रस्टी उक्त प्रकारके ट्रस्ट से पृथक नहीं किया जाता है तो उसे ट्रस्ट मंडल के सदस्य के रूप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।
6. ट्रस्ट द्वारा जो भी शिक्षण संस्थाएँ संचालित होंगी उसमें एक प्रबन्ध समिति होगी जिसमें निम्न पदाधिकारी होंगे- एक अध्यक्ष, एक प्रबन्धक, एक कोषाध्यक्ष तथा महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाचार्य एवं शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर के कर्मचारी के प्रतिनिधि विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्थाके लिए नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृत या अनुमोदित कराये गये प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे तथा उन्हें नियमानुसार प्राप्त अधिकारों को प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा। एवं उपरोक्त संचालित शिक्षण संस्थाओं की समिति बिना पूर्व सूचना के गंग करने का अधिकार केवल ट्रस्टी के पास सुरक्षित होगा।
7. ट्रस्ट मंडल का कोई भी ट्रस्टी कभी भी व्यक्ति या संस्था से यदि कोई व्यक्तिगत लेन-देन करता है तो ट्रस्ट का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। बल्कि सम्बन्धित ट्रस्टी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

(ख) ट्रस्ट की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशन:-

1. ट्रस्ट मंडल की एक बार वार्षिक बैठक अवश्य होगी। उक्त बैठक में ट्रस्ट के अधीन संचालित सभी संस्थाओं/समितियों के प्रबन्ध/सचिव एवं प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेंगे। वार्षिक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 15 दिन पूर्व मुख्य ट्रस्टी द्वारा दी जायेगी। और उपरोक्त व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक से अनुपस्थित व बैठक में भाग न लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जायेगी। कोई भी व्यक्ति मुख्य ट्रस्टी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक से अनुपस्थित हो सकता है।
2. वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के वर्ष भर के क्रियाकलापों पर विचार होगा और आय-व्यय पर विचार कर ट्रस्ट का बजट निर्धारण किया जायेगा। विचारपरान्त बहुमत से पारित नियम एवं निर्णय पर ट्रस्ट मंडल का फैसला अंतिम होगा।





63. मुख्य ट्रस्टी/मैनेजिंग ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य:-

1. इस ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी के रूप में कार्य करने तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं एवं सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना।
2. ट्रस्ट से सम्बन्धित प्रत्येक प्रकार की धनराशि का प्राप्त करके उसकी रसीद देना।
3. ट्रस्ट की समस्त कार्यवाही लिखना/लिखवाना व अन्य अभिलेखों को तैयार करवाना।
4. ट्रस्ट की बैठक को आमन्त्रित करना तथा उसकी सूचना ट्रस्ट मंडल के सदस्यों को देना।
5. ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा ट्रस्ट के आय-व्यय का हिसाब-किताब किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा ऑडिट कराकर रिपोर्ट ट्रस्ट मंडल के समक्ष रखना।
6. ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट की समस्त चल अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण व प्राप्ति से सम्बन्धित विलेखों को हस्ताक्षरित करना।
7. ट्रस्ट तथा ट्रस्ट के विरुद्ध विधिक कार्यवाहियों की ट्रस्ट की ओर से पैरवी करना तथा उसके लिए अधिवक्ता व मुखतार नियुक्त करना।
8. इस ट्रस्ट विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारियों का प्रयोग करना तथा ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी के रूप में शेष ट्रस्टीयों के सहयोग से ट्रस्ट के हित में अन्य समस्त कार्यों का करना।
9. ट्रस्ट के वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना।
10. ट्रस्ट का आय-व्यय का रिपोर्ट तथा ट्रस्ट मण्डल द्वारा अधिकृत लेख परीक्षक से ट्रस्ट के आय-व्यय का लेख परीक्षण करना।
11. ट्रस्ट के वित्त सम्बन्धी लेखों का सुचारु रूप से रखरखाव करना।

64. ट्रस्ट के कोष की व्यवस्था:-

ट्रस्ट के कोष को सुचारु रूप से रखरखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी डाकघर या राष्ट्रीयकृत/मान्यताप्राप्त अधिसूचित बैंक में ट्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा। जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की आय का संचालन मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा किया जावेगा। एक मात्र मैनेजिंग ट्रस्टी ही आहरणकर्ता होगा।

65. ट्रस्ट के अभिलेख:-

ट्रस्ट के अभिलेखों को तैयार करने/कराने व रखरखाव का दायित्व मैनेजिंग ट्रस्टी का होगा। मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा प्रमुख रूप से ट्रस्ट के लिए सुचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर व लेखों का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा।

66. ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था:-

ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप में की जायेगी-

1. यह कि ट्रस्ट मंडल द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों वित्तीय संस्थाओं व बैंकों से दान, सहायता, ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा। और किसी भी उचित वैज्ञानिक माध्यम से ट्रस्ट की आय बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से दरतावेज निष्पादित करने के लिए मैनेजिंग ट्रस्टी व एक अन्य ट्रस्टी जिसे कि मैनेजिंग ट्रस्टी उचित समझे अधिकृत होंगे।
2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी की तरफ से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिए भूमि एवं भवन का क्रय एवं विक्रय कर सकेगा या किसी चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेगा। ट्रस्ट मण्डल की सम्पत्ति या सम्पत्तियों को किराये पर दे सकेगा या बेच सकेगा।
3. यह कि ट्रस्ट की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने या दुरुपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार ट्रस्टी को प्राप्त होगा। ट्रस्ट और उसके अधीन संस्थाओं एवं समितियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील ट्रस्टी द्वारा सुनी जायेगी।
4. ट्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित किसी भी संस्था व विद्यालय में प्रबन्ध की विवाद उत्पन्न होने पर उसके सम्बन्ध में ट्रस्टी का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा। परन्तु यदि किसी परिस्थितिवाश ऐसा नहीं हो सका तो विवाद को लम्बित रहने के दौरान सम्बन्धित सम्बन्धित संस्था या विद्यालय का प्रबन्धन व उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था ट्रस्ट में निहित रहेगी।

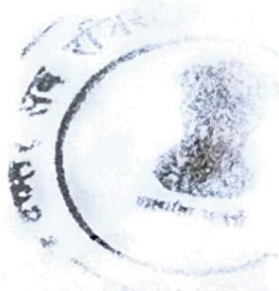




5. ट्रस्ट की आय-व्यय व लेखा के परीक्षा हेतु मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा परीक्षा की नियुक्ति की जा सकेगी।
6. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी यदि आवश्यक हो तो ट्रस्ट कोष से अपनी बुनियादी खर्चे यथा यात्रा-भत्ता, खान-पान, साधन-समसाधन में आवश्यकता अनुसार खर्च करने का अधिकारी होगा धर्मिक कार्य हेतु यात्रा करने लिए आवश्यक भत्ता फण्ड से आहरण कर सकेगा सर्वाधिकार सुरक्षित।
7. यह कि विशिष्ट ट्रस्टी जो एक लाख या उससे अधिक धर्मराशि अर्पण करेगा उसे विशिष्ट अधिकार प्राप्त होगा जो कि मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा तय किया जायेगा। समय-समय पर धर्मराशि बढ़ाने, घटाने व समाप्त करने का अधिकार मैनेजिंग ट्रस्टी का होगा।
8. ट्रस्ट द्वारा या ट्रस्ट के विरुद्ध किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन ट्रस्ट के नाम से किया जायेगा। जिसकी पैरवी ट्रस्ट की ओर से मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा अथवा मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत ट्रस्टी द्वारा की जायेगी।
9. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारी की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तों एवं सेवा पुस्तक एवं विवरण भी ट्रस्टी के अधीन होगा। ट्रस्टी बहुमत से स्वयं उनके कार्यों को करेगा, अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को इस कार्य हेतु नियुक्त करेगा इसके अतिरिक्त ट्रस्टी अपने सम्पत्तियों के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्यों हेतु वैतनिक कर्मचारियों की भी नियुक्ति करेगा।
10. ट्रस्टी ट्रस्ट के लिए वह सभी कार्य करेगा जो ट्रस्ट के हितों के लिए आवश्यक हो ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो।
11. ट्रस्ट के प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति ट्रस्ट की उद्देश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति के लिए प्रयोग की जायेगी। तथा भविष्य में ट्रस्ट द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके बावत भी यह शर्त लागू होंगे।
12. ट्रस्ट से सम्बन्धित समस्त वादों का निस्तारण मानवीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में ही होगा, अन्यत्र कहीं मान्य नहीं होगा।
67. ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र:- ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र समस्त भारत वर्ष होगा।
1. मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा नियुक्त/मनोनित पदाधिकारीयो का व भारत वर्ष के विभिन्न प्रान्तों व जिलों व शहरों व गाँवों में कार्यालय संचालन का कार्यकाल न्यूनतम तीन वर्ष व अधिकतम मैनेजिंग ट्रस्टी के विवेक पर आधारित होगा।
- 2 नियुक्त पदाधिकारीयो की संख्या मैनेजिंग ट्रस्टी के द्वारा आवश्यकता अनुसार कभी भी बढ़ायी व घटायी जा सकती है।

24/11/2017

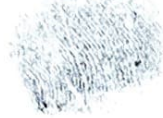




घोषणा पत्र

"सरस्वती बाल मन्दिर सेवा ट्रस्ट" की तरफ से मै राजेन्द्र प्रसाद तिवारी पुत्र श्री शिवराम तिवारी निवासी मकान नम्बर 173/8, उत्तरी लोकपुर, नैनी, परगना अरैल, तहसील करछना, जिला प्रयागराज संस्थापक/अध्यक्ष (आजीवन) के रूप में घोषित करता हूँ। कि उपरोक्त पत्र लिखकर पढ़ व समझकर स्वस्थ मन व चित से बिना किसी बाहरी दबाव के सोच समझकर इस ट्रस्ट डीड को निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया है। जिससे कि ट्रस्ट का विधिवत गठन हो सके। जिसमें मुबलिय 750/-रुपया का e-Stamp अदा किया जा रहा है। e-Stamp Certificate No. IN-UP19504124219544Y है

रामेश्वर



दिनांक- 21 - 04 - 2026ई0
दस्तावेज लेखक एवं टाइपकर्ता-

बलराम सिंह
वसीका नवीस
तहसील-करछना, प्रयागराज
ला0 नं0 के-3
मो0-7905714788
हस्ताक्षर

रामेश्वर

गवाह 1- ज्ञानेन्द्र मिश्र पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र निवासी चक इमामअली, नैनी, परगना अरैल, तहसील करछना, जिला प्रयागराज
आधार नम्बर- 2331 2165 0820
मो0नं0-6392827945



गवाह 2- शोएब इसराइल सिद्दीकी पुत्र श्री मोहम्मद इसराइल निवासी मकान नम्बर 406, अरैल, नैनी, परगना अरैल, तहसील करछना, जिला प्रयागराज
आधार नम्बर- 7072 9737 0288
मो0नं0- 9415253866



आवेदन सं०: 202600892005572

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 77 के पृष्ठ 157 से 178 तक क्रमांक 54 पर दिनांक
21/04/2026 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

नीरज कुमार पाण्डेय

उप निबंधक : करछना

प्रयागराज

21/04/2026

